FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या – 23/2015

किस्म मुकदमा – प्रतिकर निर्धारण

उनवान

1.	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा	बनाम	1.	श्री अमीन खां पुत्र मागूं खां कायमखानी निवासी मेघरास, तहसील बनेड़ा, हाल निवासी मकान नं0 165–166,पुलिस लाईन के पीछे, विवेकानन्द नगर, भीलवाडा
	––प्रार्थी			––विपक्षी

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 छः लेन निर्माण/चौड़ाकरण हेतु अतिरिक्त भूमि अवाप्ति के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 एवं नवीन भूमि अर्जन पुनःर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत प्रतिकर निर्धारण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/01/19	:: **संशोधित आदेश** :: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 79 के छः लेन निर्माण/चौड़ाकरण के लिए अतिरिक्त भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा **3 A (1)** के अन्तर्गत अधिसूचना **दिनांक 24/11/2012** को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रो में **दिनांक 18/12/2012** को किया गया। इसके उपरान्त विहित अधिनियम की धारा **3 D (1)** के अन्तर्गत अधिसूचना **दिनांक 22/11/2013** को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रो में **दिनांक 10/12/2013 एवं दिनांक 11/12/2013** को कराया गया। सूचना प्रकाशन होने के उपरान्त विहित अधिनियम की धारा **3 D (2)** के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि समस्त भारो से मुक्त होकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार में निहित हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम **रायला** तहसील **बनेड़ा** की अवाप्ताधीन **आराजी नं0** 925/2 एवं **आराजी नं0** 925/3 में से **रकबा 0.1520 हैक्टयर** भूमि का सक्षम न्यायालय द्वारा अवार्ड **दिनांक 05/11/2015** से प्रतिकर **राशि 27,77,141**– रूपये का निर्धारित किया गया था। तद्उपरान्त नवीन भूमि अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रकरण में पूरक अवार्ड **दिनांक 05/11/2018** से प्रतिकर **राशि का पुनः निर्धारण किया जाकर राशि 69,32,410**– रूपये का अवार्ड जारी किया गया। परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पत्र कमांक **3465** दिनांक **08/06/2018** द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त अवाप्ताधीन **आराजी नम्बर 925/2, 925/3** की भूमि के प्रतिकर का अवार्ड जारी हुआ हैं मगर उक्त भूमि पर स्थित निर्माण संरचनाओं का मूल्याकंन प्रतिवेदन समय पर पेश नहीं किया जा सका था, अब उक्त भूमि पर स्थित परिसम्पतियों का मूल्याकंन प्रतिवेदन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सत्यापित करवा कर भिजवाया जा रहा हैं, उक्त निर्माण संरचनाओं का अवार्ड जारी करने हेतु निवेदन किया हैं। **तहसीलदार बनेड़ा** से उक्त प्राप्त निर्मित निर्माण सरंचनाओं के मूल्याकंन प्रतिवेदन की सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त की गयी। **तहसीलदार बनेड़ा** ने उक्त निर्माण सरंचना का सत्यापन मौके पर स्वयं कर बताया की निर्माण **आराजी नम्बर 925/2 व 925/3** में से अवाप्त की गयी भूमि पर ही हैं। अतः प्रकरण में नवीन भूमि अर्जन पुनःर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि **आराजी नम्बर 925/2 व 925/3** पर स्थित निर्माण सरंचना का पूरक अवाड़ जारी करने एवं हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार को भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं। **राजस्व ग्राम रायला, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा**	

जिस्ट्रेट (प्रशासन)
ारी (भूमि अवाप्ति)
लवाड़ा

क0सं0	विवरण	विवरण / प्रतिकर राशि
1	आराजी नं0 (**ग्राम रायला, तहसील बनेड़ा**)	925 / 2, 925 / 3
2	अवाप्ताधीन कुलिया रकबा	0.1520 हैक्टयर
3	किस्म भूमि	गै0मु0उद्योग
4	हितबद्ध खातेदार	श्री अमीन खां पिता मागू खां कायमखानी
5	दिनांक 24.11.2012 को **DLC** दर (प्रति बीघा)	42,01,065— रूपये
6	**PWD** के अनुसार **ग्राम रायला** की शहरी सीमा से स्थित दूरी अनुसार देय कारक	20—30 किमी
7	कृषि भूमि की प्रतिकर राशि (क्षेत्र **X** दर)	Nil
8	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फेक्टर दूरी **20—30** किमी पर **1.75** गुणा की दर से राशि	Nil
9	अधिकृत मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा तैयार मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार स्थायी संरचना का मूल्य	1,74,651— रूपये
10	योग **(9+10)**	1,74,651— रूपये
11	सोलिशियम (तोषण) राशि (100 प्रतिशत) कॉलम नं0 11 अंकित राशि का	1,74,651— रूपये
12	कुल मुआवजा राशि कॉलम नं0 **(11+12+13)**	3,49,302— रूपये
13	कुल प्रतिकर राशि पर 10 प्रतिशत की दर से आयकर **(TDS)** कटौती	34,930— रूपये
14	हितबद्व खातेदार को भुगतान की जाने वाली राशि	3,14,372— रूपये
	अक्षरे — तीन लाख चोदह हजार तीन सौ बहतर रूपये मात्र	

प्रार्थी परियोजना निदेशक अवार्ड अनुसार प्रतिकर राशि तत्काल इस न्यायालय के बैंक अकाउन्ट में जमा कराना सुनिश्चित करेगें। विलम्ब के लिए प्रार्थी परियोजना निदेशक जिम्मेदार होगें। अवार्ड की प्रति प्रार्थी परियोजना निदेशक तथा संबंधित तहसीलदार एवं हितबद्व व्यक्ति / खातेदार को प्रेषित की जावे। तहसीलदार हितबद्ध व्यक्ति / खातेदार से सम्पर्क कर प्रतिकर भुगतान पत्रादि प्रस्तुत करावे।

(एल0आर0 गुगरवाल)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)
भीलवाड़ा